श्री उपसभापति : उनको कनक्लूड करने के बाद कहिए ....(व्यवधान)..I am sorry, you are not listening to him ...*(Interruptions)*...

श्री विनय कटियार : वित्त मंत्री जी ने जो बात कहीं थी ...(व्यवधान)... मैं जानना चाह रहा हूं ..(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : यह क्या बात हैं। ...(**व्यवधान**)... आई एम सॉरी ...(**व्यवधान**)... यह सही नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...Nothing will go on record ...*(Interruptions)*...

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (उत्तरांचल) **:** यह शेयर की बात हो रही हैं। ...(**व्यवधान**)..

श्री उपसभापति : आप शेयर की बात भी नहीं सुनेंगे।....(**व्यवधान**)... आप सुनिए, आप सुनिए। ...(**व्यवधान**)... पूरा हाउस देख रहा हैं। ...(**व्यवधान**)... देखिए, आरग्युमेंट नहीं, आप गलत कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... Arguments नहीं आप गलत कर रहे हैं ... (**व्यवधान**)... आप सुन नहीं रहे हैं ...(**व्यवधान**).. प्लीज बैठिए, यह सही बात नहीं हैं ..(**व्यवधान**)...

SHRI P. CHIDAMBARAM: I have said what I had to say. I take very serious note of what hon. Members have said, and I will come back at the appropriate time. I cannot make off-the-cuff remarks and if anyone knowns that better, it is my good friend, Shri Yashwant Sinha. He must advise his colleagues not to demand an off-the-cuff statement. But I have taken note of what you said, and I will come back.

GOVERNMENT BILLS—*Contd.*

The Taxation Laws (Amendment) Bill, 2006

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I beg to move:

> That the Bill further to amend the Income-Tax Act, 1961, the Customs Act, 1962, the Customs Tariff Act, 1975 and the Central Excise Act, 1944, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration.

Sir, you will recall that what I made the Budget Speech, I said that I do not want to burden the Finance Bill with a number of amendments to various laws which tend to clutter the Finance Bill. It also diverts attention from the main features of the Finance Bill. So, I said that we will move a separate Taxation Laws (Amendment) Bill. That is how this Bill is being introduced. Broadly, Sir, this amends some provisions of the Income Tax Act, some provisions of the Customs Act, some provisions of the Customs Tariff Act, and some provisions of the Central Excise Act. Many of these

are procedural amendments. Many of them are based on experience. By tightening some provisions, we are trying to remove some drafting lacunae. I do not blame anyone for the drafting lacunae, this can happen under any Government. There are some drafting lacunae which we found, and we are trying to rectify those drafting lacunae. The Lok Sabha has accepted this Bill with amendments. As amended by the Lok Sabha this Bill is coming before the House. If any hon. Member has any particular question or difficulty, I will, certainly, respond to that while replying to the debate. But, I think, the amendments are quite self-explanatory, and I would request this hon. House to debate and return the Bill.

The question was proposed.

श्री सुरेश भारद्वाज (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति जी, माननीय वित्त मंत्री जी अपनी वाक-शक्ति के बल पर सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, लेकिन अक्सर चाहे वह टैक्स हो, चाहे वह बजट हो, चाहें फाइनेंस बिल हो, वे आम आदमी की पीठ के पीछे से कान-खिंचाई करते है।

उपसभापति महोदय, टैक्सेशन (अमेंडमेंट) बिल में माननीय मंत्री जरा ने कहा हैं कि डॉयरेक्टर टैक्सेज में, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, कस्टम एक्ट में, कसटम टैरिफ एक्ट में, सेंट्रल एक्साइज टैक्स में अमेंडमेंट्स किए जा रहे है और साथ ही सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं। वास्तव में पहले बजट पेश किया जाता हैं, फिर फाइनेंस बिल आता हैं, फिर इसके बाद टैक्स के प्रोविजन कर दिए जाते है। इसमें बहुत सारे प्रोविजन्स में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं, आम आदमी को उससे फायदा हो, इस दृष्टि से वे अमेंडमेट्स नहीं किए गए हैं। अधिकांश अमेंडमेंट्स half-hearted हैं और अधिकतर जितने भी कानून बनते हैं विशेष रूप से टैक्स सिस्टम से संबंधित जो कानून बनते हैं, उनमें जो टैक्स पे करता हैं, उनके ऊपर ही वे कानून लागू होते हैं। हिंदुस्तान में जो parallel economy, black money के रूप में चलती हैं उस ब्लैक मनी को बाहर निकालने के लिये इससे पहले जो **Measures** लिये गये थे नाकाफी रहे हैं और यह टैक्सेशन (अमेंडमेंट्स) बिल, जिसे मंत्री जी एक separate bill के रूप में लाए हैं, इसमें भी इस दृष्टि से कोई प्रावधान नहीं किया गया हैं। उपसभापति महोदय, टैक्सेशन के जो भी एक्ट आते है, बिल आते हैं, उनमें यह कोशिश रहती हैं कि पीठ के पीछे से, back door से आम आदमी की जेब से पैसा निकाला जाए और उसका एक छोटा-सा नमूना इस बिल में भी हैं कि जब rounding figures में round करना होता हैं, तो 49 पैसे का 50 पैसे का किया जाता हैं, 51 पैसे का 50 पैसे किया जाता हैं। यहां पर एक रूपए को राउंड करना हैं तो रूपए छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उन्होने एक रूपए को राउंड करने के लिए सीधे 10 रूपया बना दिया है जब कोंई भी एक्ट पास किया जाता हैं, तो आम आदमी को उससे फायदा नहीं

होता हैं, सबसे बड़ी बात, जिसकी आज हिन्दुस्तान में जरूरत हैं, वह यह हैं कि हमारे taxation के laws इतने complicated हैं कि आम टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के दफ्तरों में, सैट्रल टैक्स ऑफिसर्स के दफ्तरों में जाकर काफी चक्कर लगाना पड़ता हैं। वास्तव में यह स्थिति बन जाती है कि चाहे वह आम आदमी हो, यहां तक कि जो सदन में सदस्य भी हैं, वे भी, यदि इनकम टैक्स का कोई अधिकारी आ जाए, कोई इंस्पेक्टर आ जाए, तो उससे भयभीत रहते हैं। इस भय को जब तक नहीं निकाला जाएगा, तब तक आम आदमी, जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं, यहां तक कि जो बहुत बड़े-बड़े टैक्स पेयर्स भी हैं, वे भी ठीक प्रकार से टैक्स देने में आनाकानी करते रहेंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की हैं कि हमारे टैक्स पेमेंट का जो procedure हैं, जिसके कारण हमें इनकम टैक्स या दूसरी अथॉरिटीज के चक्कर लगाने पड़ते हैं, उसे simplify किया जाए। यहां तक कि एक छोटे-से-छोटा प्रधान चुना जाता हैं, वह जनप्रतिनिधि हैं, यदि वह किसी कार्यालय में जाएगा, तो उसे बैठने के लिए कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन जो टैक्स पेयर्स हैं, जो इस देश की इकोनॉमी को चलाते हैं और ईमानदारी से टैक्स पे करते हैं, उनको इनकम टैक्स के दफ्तर में, सेल्स टैक्स के दफ्तर में जाकर एक culprit के तौर पर खड़े रहना पड़ता हैं। उसके लिए अभी तक कोई माकूल व्यवस्था इन अधिकारियों के दफ्तरों में नहीं हो पा रही हैं इस दृष्टि से टैक्सेशन में simplification का वह प्रावधान होना चाहिए, ताकि ईमानदार टैक्स-पेयर्स को मदद मिल सके और वे खुल कर टैक्स दे सके। इस दृष्टि में कोई प्रावधान न तो फाइनांस बिल में किया गया, न ही इस separate bill जो लाया गया हैं, इसमें किया गया हैं।

इसके अतिरिक्त सेंट्रल सेल्स एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, हालांकि वे केवल procedyure के तौर पर किए गए हैं। जब वैट सिस्टम लागू किया गया था, तो उस समय यह कहा गया था कि सेंट्रल सेल्स टैक्स समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन इस दृष्टि से न तो बजट में, न ही इसमें किसी प्रकार का प्रावधान किया जा रहा हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस बिल को माननीय वित्त मंत्री half & heartedly लाए हैं और पूरी तरह से टैक्स सिस्टम को simply करने की आवश्यकता हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

MESSAGE FROM LOK SABHA—*Contd.*

The Constitution (One Hundred And Fifth Amendment) Bill, 2006

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha: